न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–जीसीएमएस नम्बर 2025/1434

1. धन्ना लाल चौधरी पुत्र श्री हरि सिंह चौधरी, आयु लगभग 54 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम कारवाड़ तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा राजस्थान।

––अपीलान्ट

बनाम

1. जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, जिला खैरथल–तिजारा, राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. श्री विजयसिंह राठौड़, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, रेस्पोडेन्ट की ओर से

दिनांकः 05.01.2026

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, खैरथल–तिजारा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.03.2025 से असंतुष्ट होकर धारा 18 आयुध अधिनियम 1959, आयुध संशोधित अधिनियम 2019 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट के आवेदन पर जान माल की सुरक्षा को मध्यनजर रखते हुए अनुज्ञापक प्राधिकारी द्वारा एक शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या एलएन/29482ए7ए22डी19 अवसान तारीख 31.12.2021 वैधता जिला खैरथल–तिजारा राजस्थान के नवीनीकरण हेतु दिनांक 05.01.2022 प्रस्तुत किया गया जिस पर नियमानुसार जांच कर चालान संख्या 57350615 दिनांक 05.01.2022 के द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण शुल्क 2,500/–रूपये राजकोष में जमा कराकर पुलिस अधीक्षक भिवाडी से शस्त्र अनुज्ञा पत्र पंजीयन/नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया एवं चालान संख्या 57350718 दिनांक 05.01.2022 डीआईजी रजिस्ट्रार एण्ड कलेक्टर(स्टाम्प) जिला अलवर के समक्ष शस्त्र 32 बोर रिवॉल्वर नम्बर ई–4632 के लाईसेन्स के नवीनीकरण हेतु स्टाम्प ड्यूटी शुल्क 2600/–रूपये अदा किया गया। तत्पश्चात् उक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति अवसान तारीख 31.12.2021 के नवीनीकरण हेतु दिनांक 05.01.2022 प्रस्तुत किया गया, जिस पर जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा के पत्रांक 126 दिनांक 06.01.2022 को पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना तिजारा द्वारा आयुध अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण/रिटेनर के लिए आवेदन पर नजदीक पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी को आयुध अधिनियम 1959 की धारा 13(2) के अधीन सत्यापन रिपोर्ट भिजवाने बाबत पत्र जारी किया गया। जिसकी अनुपालना में थानाधिकारी द्वारा रिपोर्ट नही भेजने पर जिला मजिस्ट्रेट खैरथल–तिजारा की ओर से पुनः स्मरण पत्रांक 1013 दिनांक 06.12.2023 प्रेषित किया गया कि आयुध अनुज्ञप्ति संख्या एलएन29482ए7ए22डी19 के संदर्भ में क्रमांक 1380 दिनांक 29.07.2024 को आयुध अधिनियम 1959 की धारा 13(2) के अधीन सत्यापन रिपोर्ट 17 बिन्दुओं में चैक लिस्ट/प्रारूप में भिजवाई गयी जिसमें आवेदक मूल रूप से करवड पुलिस थाना कोटकासिम का रहने वाला पाया गया। आवेदक के पास शस्त्र नम्बर ई–4632 जो कि निजी सुरक्षा हेतु लिया गया है। आवेदक के विरूद्ध थाना के रिकार्ड के अनुसार कोई भी अपराधिक प्रकरण पंजीबद्व होना नही पाया गया एवं शस्त्र नवीनीकरण किये

P.T.O.

जाने हेतु पुलिस पुलिस थाना तिजारा खैरथल–तिजारा की ओर से आवेदन धन्ना लाल चौधरी का शस्त्र अनुज्ञा नवीनीकरण किये जावे तो कोई आपत्ति नही है, हेतु जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट के द्वारा जिला कलक्टर के समक्ष शस्त्र अनुज्ञा नवीनीकरण हेतु जानकारी चाही गई तो सक्षम अधिकारी ने बताया की आपका कार्य प्रोसेज में है। अभी आपके शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण के समय लगेगा। अपीलार्थी कई बार कलक्ट्रेट कार्यालय के चक्कर लगाता रहता तथा नवीनीकरण की जानकारी करने हेतु बार–बार सम्पर्क करने पर किसी प्रकार का कोई सन्तुष्टिपूर्ण जवाब नही दिया। अन्त में दिनांक 22.05.2025 को अपीलार्थी द्वारा वास्तविक स्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया तो मालूम चला कि जिला कलक्टर द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण नही करने हेतु आदेश क्रमांक प.न्याय/2025/406 दिनांक 03.03.2025 को आदेश पारित कर दिया जिस पर अपीलार्थी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 10.06.2025 को प्राप्त कर समस्त तथ्य जानकारी में आया कि अपीलान्ट को आवेदन पत्र खारिज कर दिया गया है। जिस अनुज्ञा पत्र बहाल किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायलाय के रीडर से पूछताछ करने पर उन्होने मौखिक बताया कि शस्त्र अनुज्ञा पत्र को पुनः बहाल करने हेतु न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील प्रस्तुत करो। जिस पर अपीलार्थी ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उक्त विलम्ब को माफ करने हेतु अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से अपील के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो स्वीकार योग्य होने स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि आयुद्ध नियम 2016 के नियम 24 के उप नियम (2) अनुसार आयुद्ध और गोला बारूद्ध के अनुज्ञाप्ति नवीनीकरण के लिए आवेदक निर्धारित प्रारूप में जिसमें विनिर्दिष्ट अनुज्ञाप्ति के समाप्त होने के कम से कम 60 दिन पूर्व निर्धारित प्रारूप मे विनिर्दिष्ट दस्तावेजात के साथ अनुज्ञापन प्राधिकारी को फाईल करेंगा, के प्रावधान है। प्रकरण में अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिनांक 31.12.2021 तक वैद्य था एवं अपीलान्ट द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु शस्त्र अनुज्ञा पत्र की अवधि समाप्त होने के 05 दिवस पूर्व दिनांक 05.01.2022 को किया गया है। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा "गृह (ग्रुप–9) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 30.05.2019 एवं आर्म्स नियम 2016 के नियम 24 उपनियम 2 अनुसार प्रार्थी द्वारा आवेदन निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नही करने एवं विलम्ब के कारण का शपथ पत्र न्यायोचित नही होने के आधार पर आर्म्स लाईसेन्स नवीनीकरण आवेदन खारिज किया जाता है" के आधार पर नवीनीकरण आवेदन पत्र खारिज किया गया है। जो विधि विधान, प्राकृतिक न्याय एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्यों के सर्वथा प्रतिकूल होने तथा पारित आदेश में कानूनी एवं तथ्यात्मक गंभीर त्रुटि, भूल कारित की गई है। इसलिये अपीलाधीन आदेश प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अनुज्ञापक प्राधिकारी का उक्त अपीलाधीन आदेश इसलिये भी निरस्तनीय है कि अपीलार्थी द्वारा जब शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण के लिए दिनांक 05.01.2022 को आवेदन किया गया था। इस प्रकार शस्त्र अनुज्ञापक प्राधिकारी के द्वारा बिना न्यायिक मनन किये एवं बिना कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाये उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर गंभीर कानूनी भूल की गई है। भूपेन्द्र सिंह अम्बोधन गढवी बनाम गुजरात राज्य व अन्य 2009 क्रिमिनल लॉ जनरल 207, गजरात उच्च न्यायालय के न्यायिक सिद्धान्त में भी यह प्रतिपादित किया गया है कि अनुज्ञप्तिधारी के पास अपील फाईल करने का

वैधानिक अधिकार है, उस सम्प्रेषित नही किया गया एवं इसके परिणाम स्वरूप अपील देरी से फाईल की गई यह कहा जा सकता है कि देरी का माफी हेतु पर्याप्त आधार बनता है। देरी से माफी के लिए इन्कार अनुपर्युक्त है। इस प्रकार भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्रतिसंहत/निरस्त करने का आदेश गलत, त्रुटिपूर्ण एवं विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अनुज्ञा पत्र प्राधिकारी के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश इसलिये भी निरस्तनीय है कि अपीलार्थी उक्त लाईसेन्सी हथियार का उपयोग करता रहा है। अपीलार्थी को अपनी जान व माल की सुरक्षा हेतु उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र की अति संभाव्य आवश्कता है तथा अपीलार्थी वर्ष 2003 की समय अवधि से शान्तिमय तरीके से निरन्तर विधि सम्मत रूप से शस्त्र उपयोग करता आ रहा है। इस प्रकार व्यथित व्यक्ति की अति संभाव्य आवश्यकता को भी पूरी तरह से दिरकिनार करते हए अपीलाधीन आदेश पारित कर गंभीर कानूनी भूल की है, जो कतई न्यायोचित नही है। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा जारी पत्रांक 406 दिनांक 03.03.2025 अपीलार्थी को प्राप्त ही नही हुआ एवं उचित समय दिये बिना ही आलौच्य आदेश पारित कर दिया गया, जो अपूर्ण व अवैध होने के कारण अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी के पास जो शस्त्र अनुज्ञा पत्र/लाईसेन्स जारी किया गया था वह अलवर जिले से जारी किया गया था। राज्य सरकार के द्वारा खैरथल–तिजारा नया जिला बनाने के कारण लाईसेन्स के नवीनीकरण की स्थिति स्पष्ट नही थी। इस कारण से भी अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अनुज्ञापक प्राधिकारी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.03.2025 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलार्थी अनुज्ञाप्तिधारी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र अनुज्ञप्ति संख्या एलएन29482ए7ए22डी19 जिला खैरथल–तिजारा राज्य राजस्थान का नवीनीकरण किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि आयुध नियम 2016 के नियम 24 के उपनियम (2) के अनुसार आयुध और गोला बारूद के लिऐ अनुज्ञप्ति समाप्त होने के कम से कम साठ दिन पूर्व प्रारूप मे विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ अनुज्ञापन प्राधिकारी को फाईल होगा, के प्रावधान है। अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र दिनांक 31.12.2021 तक वैध था एवं अपीलार्थी द्वारा उक्त लाईसेन्स के नवीनीकरण हेतु आवेदन शस्त्र अनुज्ञापत्र की अवधि समाप्त होने के 05 दिवस पश्चात् दिनांक 05.01.2022 को आवेदन किया गया। गृह (ग्रुप–9) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 30.05.2019 एवं आर्म्स नियम 2016 के नियम 24 उपनियम 2 अनुसार अपीलार्थी का आवेदन निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नही करने के आधार पर आर्म्स लाईसेन्स नवीनीकरण आवेदन पत्र विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही खारिज किया गया जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नही की गई है। उन्होने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2025 के विरूद्ध दिनांक 18.06.2025 को न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है, जो मियाद बाहर होने के कारण मियाद के बिन्दु पर भी खारिज किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावें।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपर न्यायालयो की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें विलम्ब से प्रस्तुत अपीलें/प्रार्थना पत्रादि के

प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए व प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण के तथ्य के मद्देनजर विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलार्थी द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु आवेदन अनुज्ञा पत्र की अवधि दिनांक 31.12.2021 समाप्त होने के 05 दिवस पश्चात् दिनांक 05.01.2025 को किया गया गया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय खैरथल–तिजारा द्वारा अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि (60 दिवस पूर्व) आवेदन प्रस्तुत नही करने पर प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के अपीलाधीन आदेश पारित किया गये है। अपीलार्थी का विलम्ब के सम्बन्ध में कथन रहा है कि राज्य सरकार के द्वारा खैरथल–तिजारा नया जिला बनाने के कारण लाईसेन्स की नवीनीकरण की स्थिति स्पष्ट नही थी। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2023(2)आर.आर.टी. पेज 1115 में अभिनिर्धारित किया गया है कि:–

"Condonation of delay-liberal and Justice oriented approach needs to be adopted-Substantive rights of the parties should not be defeated only on the geound of delay-Dicision on which the impugned judgment is based has been overruled is not a ground to condone the delay-Application under Saction 5 was drafted very casually- Held, Delay condoned to subserb the justice."

माननीय उच्चतर न्यायालयों द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख (लिबरल अप्रोच) अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में डिले कण्डोन किया जाना उचित समझते है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये अपील आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि:– अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, खैरथल–तिजारा का आदेश क्रमांक प. न्याय/2025/408 दिनांक 03.03.2025 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के विलम्ब को क्षम्य करते हुए नियमानुसार निर्णय पारित करें।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।